



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को **03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक **15.11.2025** को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 24.06.2023 को अभियुक्त निखिल पुत्र दिनेश निवासी अशोक नगर गली नं0 5 थाना ज्योति नगर नई दिल्ली द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 209/2023 धारा 354, 354घ भादवि, 7/8 पोक्सो अधि0 व 67ए आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 29.07.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 15.11.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो प्रथम हापुड़ द्वारा **03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड** की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री शीलेश कुमार, पैरोकार म0का0 मोनू मलिक व कोर्ट मोहरीर है0का0 प्रशांत कुमार पाण्डेय का विशेष योगदान रहा

